

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :- प्रार्थना पत्र संख्या 214/2024

बलदेव सिंह पुत्र श्री गुरदत सिंह, जाति जटसिख, निवासी वार्ड नम्बर 13, चक  
10 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

-- प्रार्थी

--:: बनाम ::--

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

--:: उपस्थिति ::--

2. श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता  
पैरोकार राज

-- प्रार्थी  
-- अप्रार्थी 1

-- :: निर्णय ::--

दिनांक :-04.10.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 10 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/29 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 2/2 में 0.126 है०, किला नम्बर 3, 8, 9, 12, 13, 18, 19 प्रत्येक सालम यानि कुल 1.897 हैक्टेयर नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 में 0.253 है० नहरी, किला नम्बर 2 में 0.253 है० नहरी, किला नम्बर 3, 4, 5, 6 प्रत्येक में 0.253 है० बाग, किला नम्बर 7 ता 10 प्रत्येक में 0.253 है० नहरी, किला नम्बर 21/1 में 0.228 है० नहरी व किला नम्बर 21/2 में 0.025 है० खाला, किला नम्बर 22/1 में 0.228 है० नहरी व किला नम्बर 22/2 में 0.025 है० खाला, किला नम्बर 23/1 में 0.227 है० नहरी व किला नम्बर 23/2 में 0.026 है० खाला, किला नम्बर 24/1 में 0.228 है० बाग व किला नम्बर 24/2 में 0.025 है० खाला, किला नम्बर 25/1 में 0.227 है० बाग व किला नम्बर 25/2 में 0.026 है० खाला यानि दोनो मुरब्बो की कुल 4.0980 हैक्टेयर नहरी, 1.467 हैक्टेयर बाग एवं 0.127 हैक्टेयर खाला कुल 5.692 हैक्टेयर नहरी एवं बाग मय खाला कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । उक्त कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4, 5, 6, 7 की कुल 4 बीघा मंजूरशुदा बाग एवं किला नम्बर 3 की 1 बीघा नहरी कृषि भूमि यानि कुल 5 बीघा नहरी मय बाग कृषि भूमि जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांकित 05.12.1985 को खरीद की गई थी। प्रमाणित प्रति जमाबंदी एवं छायाप्रति बैयनामा दिनांक 05.12.1985 सलंगन प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3 की भूमि जो कि नहरी है तथा किला नम्बर 7 की भूमि जो कि बाग है, को वर्तमान जमाबंदी में मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3 में बाग एवं किला नम्बर 7 में नहरी भूमि ऋटीवश गलत रूप से अंकित कर दी गई है। प्रार्थी द्वारा इस

७९

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

2. विधिष प्रा. पत्र	14/10/24	2024	विशेष विवरण
3. अपील	तात्काल कागजात	जमा	
निर्णय दिनांक			


बावत भूमि की किस्म गलत रूप से रिकॉर्ड में अंकित किये जाने एवं उसका संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के समक्ष दिनांक 07.06.2023 को प्रस्तुत कर एक अन्य प्रार्थना पत्र अधिशापी अभियंता, जल संसाधन दक्षिण खण्ड, श्रीगंगानगर के समक्ष बावत मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 4 ता 7 में वर्तमान की स्थिति अर्थात् बाग की भूमि की तस्दीक किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें सहायक अभियन्ता द्वितीय से रिपोर्ट प्राप्त हो मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3 में मौके पर नहरी एवं किला नम्बर 7 में स्वीकृत बाग लगा होना अंकित किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त रिपोर्ट अप्रार्थी के समक्ष प्रस्तुत कर मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3 की भूमि को नहरी एवं किला नम्बर 7 की भूमि को बाग अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया गया मगर अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तथा ऐसा संशोधन करने से स्पष्ट रूप से दिनांक 22.09.2023 को इंकार हो गए। यही हेतुक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्राप्त है। समस्त उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र चक 10 जैड, तहसील व जिला श्रीगंगानगर में स्थित कृषि भूमि की किस्म के संशोधन का है, जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के नाम चक 10 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/29 में दर्ज मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर बाग को नहरी एवं किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर नहरी को बाग में परिवर्तित किये जाने अर्थात् संशोधित कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसी अनुरूप दर्ज करने हेतु आदेशित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए क्रमांक 5278 दिनांक 23.10.2023 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 10 जैड के खाता संख्या 38 में मु.नं. 35/1.897, 36/3.795 हैक्. नहरी बाग मय खाला बलदेवसिंह पुत्र गुरदत्तसिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार दर्ज है। मु.नं. 36 के कि.नं. 7/0.253 में मौका पर अमरुद का बाग लगा हुआ है। जबकि रिकार्ड में नहरी दर्ज है। और कि.नं. 3 में मौका पर नहरी है तथा रिकार्ड में बाग दर्ज है। अतः कि.नं. 3 को नहरी व कि.नं. 7 को बाग दर्ज किया जाना उचित है।

वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में वैयनामा दिनांकित 05.12.1985 की छायाप्रति, तहसीलदार श्रीगंगानगर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 07.06.2023 एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।

**—:: आदेश ::—**

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम चक 10 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/29 में दर्ज मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 3 की 0.253 हैक्टेयर बाग को नहरी


  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर

एवं किला नम्बर 7 की 0.253 हैक्टेयर नहरी को बाग अंकित किये जाने का दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/वारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(रणजीत कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीगंगानगर